|कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

क्रमांकः—व—15(2)आरपीए/जन/सेमीनार/ 2026/ 2073 दिनांकः— 6.4.26

—:: खुली निविदा सूचना ::—

अकादमी परिसर में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर दिनांक 17/18.04.2026 को सेमीनार आयोजित किया जाना प्रस्तावित है उक्त सेमीनार में शामिल उच्चाधिकारियों के लिए हाई—टी क्रय के लिए खुली बोली निविदा दिनांक 06.04.2026 को प्रातः 10.15 बजे से दिनांक 13.04.2026 प्रातः 11.00बजे तक आंमत्रित की जाती है। निविदा सूचना www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल एवं www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर देखी जा सकती है—

क्र. सं.	आईटम	अनुमानित राशि (लाख)	बोली प्रतिभूति राशि	बोली प्रपत्रों का मूल्य	निविदा खोलने की तिथि
1.	अकादमी परिसर में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर सेमीनार आयोजित किया जाना प्रस्तावित है उक्त सेमीनार में शामिल उच्चाधिकारियों के लिए हाई—टी क्रय किया जाना प्रस्तावित है। परिशिष्ठ— ए के अनुसार	**3.10 लाख**	अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत 6200/—रूपये	500.00 रू	13.04.2026 दोपहर 12.00 बजे.

सहायक निदेशक (प्रशासन),
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक सूचना एंव सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना को एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में एवं राज्यस्तरीय समाचार पत्र में जिसका परिचालन 50 हजार प्रतियों से अधिक हो, में प्रकाशित करावें।
2. निजी सहायक, निदेशक, आर. पी. ए. जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, आर. पी. ए. जयपुर।
4. निजी सहायक, उप निदेशक एवं प्राचार्य, आर.पी.ए. जयपुर।
5. प्रभारी लेखाशाखा/ जनरल शाखा/प्रभारी स्टेशनरी/कैशियर, आर.पी.ए. जयपुर।
6. प्रोग्रामर आर.पी.ए. जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा SPPP पोर्टल (**www.sppp.rajasthan.gov.in**), एवं विभागीय www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर मय खुली निविदा सूचना, निविदा प्रारूप एवंम् शर्तो के अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।
7. नोटिस बोर्ड आर.पी.ए. जयपुर।

सहायक निदेशक (प्रशासन),
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

8

।कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।।
निविदा प्रपत्र (तकनीकी बिड)

1. कार्य का नामः— **अकादमी परिसर में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर सेमीनार आयोजित किया जाना प्रस्तावित है उक्त सेमीनार में शामिल अधिकारियों के लिए हाई—टी क्रय लिए निविदा वर्ष 2026—27**
2. निविदा संख्या /2026—27 दिनांक.....................
3. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के पते पर निविदा प्रस्तुत की जावें।
4. (i) निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पूरा पता ई—मेल सहितः—

   ई—मेल आई.डी...

   (ii) अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम...मोबाईल नं....................
5. निविदा शुल्क हेतु निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के पक्ष में देय रूपये 500/— का बैंकर चैक/ड्राफट/रसीद संख्या/.............................दिनांक...............संलग्न है।
6. बोली प्रतिभूति हेतु निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के पक्ष में देय राशि रू0 6200/—का बैंकर चैक/ड्राफट संख्या....................... दिनांक ....संलग्न है।
7. निविदादाता द्वारा निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।
8. निविदा पूर्ण रूप से सील पैक करके प्रस्तुत करनी होगी स्ऐपलर से सील की हुई मान्य नहीं होगी
9. निविदा सामग्री का सैम्पल प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. निविदादाता द्वारा निम्नलिखित प्रमाण—पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक हैः—

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	PAN Card व Address Proof प्रमाण पत्र	
2.	GST पंजीयन प्रमाण पत्र	
3.	दुकान एवं वाणिज्य शॉप का प्रमाण—पत्र	
4.	बोलीदाता द्वारा तीन वित्तीय वर्षो 2022—23, 2023—24 एवं 2024—25 में वार्षिक राशि 05.00 लाख का टर्नऑवर प्रस्तुत करना होगा टर्नऑवर सी.ए. द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जिस पर जारी हो एवं UDIN नंबर अंकित हो। बिना नम्बर के टर्नऑवर प्रमाण—पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।	
5.	बोलीदाता को बोली की दिनांक से गत 03 वर्षो में राज्य सरकार अथवा उपापन संस्था द्वारा काली सूची में डाला/विवर्जित/अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए **(राशि रूप्ये 100/—के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र पर इस बाबत् स्वयं के हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा)**	
6.	फुड रजिस्ट्रेशन (FSSAI पंजीयन) प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	

निविदा के साथ उपरोक्तानुसार प्रासांगिक प्रमाण—पत्र ही प्रस्तुत किये जावे तथा उपरोक्त सारणी के निर्धारित कॉलम में पृष्ठ संख्या आवश्यक रूप से अंकित की जावे।
निविदादाता अंकित की गयी पृष्ठ संख्या पर सम्बन्धित प्रमाण—पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किया हुआ माना जायेगा।

11. निविदा सूचना संख्या /2025—26 दिनांक ....राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा जारी की गई है इसमें वर्णित समस्त शर्तो का पालन करने के लिये हम

सहमत है। निविदा की अन्य शर्ते, जो संलग्न पृष्ठो में दी गई है। इन समस्त पृष्ठों पर वर्णित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये है, तथा इनका पालन करने के लिए हम सहमत है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

8

अकादमी परिसर में राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर सेमीनार आयोजित किया जाना प्रस्तावित है उक्त सेमीनार में शामिल अधिकारियों के लिए हाई–टी क्रय हेतु मोहरबन्द बोलियां के लिए बोलीदाता की योग्यताऐं एवं सामान्य शर्तेः–

1. बोलियाँ ऑफलाइन माध्यम से एकल पद्वति से प्राप्त की जावेगी।
2. बोलीदाताओं को निर्धारित शुल्कों को तकनीकी बोली के साथ जमा कराना होगा। उक्त के अभाव में प्राप्त बोली पर विचार नही किया जावेगा।
3. राजस्थान में अवस्थित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों हेतु बोली प्रतिभूति राशि अनुमानित लागत की 0.50 प्रतिशत होगी एवं बोली प्रपत्र निर्धारित मूल्य के 50 प्रतिशत पर उपलब्ध कराए जाऐंगे। उक्त के सम्बन्ध में बोलीदाता को सम्बन्धित वर्ग के पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त के अभाव में छूट देय नहीं होगी।
4. बोलीदाता को बोली की दिनांक से गत 03 वर्षो में राज्य सरकार अथवा उपापन संस्था द्वारा काली सूची में डाला/विवर्जित/अयोग्य घोषित नही होना चाहिए। **(राशि रूपये 100/– के गैर न्यायिक मुद्रांक पत्र पर इस बाबत् स्वयं हस्ताक्षरित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।)**
5. बोलीदाता के पास गत 3 वित्तीय वर्षो 2022–2023, 2023–24 व 2024–25 मे राशि रूपयें 05.00 लाख का औसत टर्नओवर होना चाहिए। एवं UDIN नंबर अंकित हो। बिना नम्बर के टर्नऑवर प्रमाण–पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
6. बोली दाता के पास आयकर पैन नम्बर होना आवश्यक है।**(पेन कार्ड की स्व–सत्यापित छायाप्रति अपलोड करें।)**
7. फर्म का जी.एस.टी में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। **(GST रजिस्ट्रेशन की स्वप्रमाणित छायाप्रति अपलोड करें।)**
8. सामग्री शुद्व, ताजा तैयार की हुई सप्लाई करनी होगी।
9. बोलीदाता को प्रदाय की जाने वाली सामग्री का अधिकृत विक्रेता होना आवश्यक है। अधिकृत डीलर होने का स्व हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र अपेक्षित है।
10. प्रदाय की जाने वाली समस्त सामग्री स्वंय दरदाता फर्म द्वारा तैयार की हुई शुद्व देशी घी एवं तेल से बनी ताजा होना आवश्यक है। सभी सामग्री केटरिंग सहित होगी।
11. बोलीदाताओं को निर्धारित शुल्कों को अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डी.डी./बैंकस चैक/FDR /बैंक गारन्टी(जो निदेशक, RPA, के नाम से है।) के माध्यम से जमा करना होगा। उक्त के अभाव में प्राप्त बोली पर विचार नही किया जावेगा।
12. सफल बोलीदाता/अनुबन्धकर्ता द्वारा अनुबन्ध को किसी अन्य फर्म को सबलेट नही किया जा सकेगा।
13. फुड रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
14. सशर्त बोलियाँ अस्वीकार्य होगी।

15. सेमीनार आयोजन की संभावित तिथि 17, 18 अप्रेल 2026 में परिवर्तन की स्थिति में निर्धारित दिनांक को सफल निविदादाता द्वारा निविदा शर्तो के अनुसार प्रदाय किया जाना आवश्यक होगा।

16. सफल बोलीदाता को बोली अधिस्वीकृति पत्र जारी होने के बाद अविलम्ब ही उपापन की लागत की 5 प्रतिशत की दर से कार्य–सम्पादन प्रतिभूति (MSME-1% , रूग्ण उद्योग–2%)राशि अनुसूचित **बैंक द्वारा जारी डी.डी./एफडीआर/बैंक गारण्टी (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम से देय हो)** से जमा कराते हुए नियमानुसार राशि के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्वयं के व्यय पर अनुबन्ध करना होगा। उक्त के अभाव में जमा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर बोलीदाता के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुबन्धकर्ता को लौटा दी जावेगी। इस पर कोई ब्याज देय नही होगा।

17. बोली के साथ संलग्न अनुलग्नक A, B,C एवं D (बोली के साथ संलग्न अनुलग्नक A, B, C एवं D एवं समस्त दस्तावेजों पर अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करने होंगे।)

18. सफल बोलीदाता को बोली अधिस्वीकृति पत्र जारी होने के अविलम्ब ही नियमानुसार राशि के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्वयं के व्यय पर अनुबन्ध करना होगा।

19. सफल बोलीदाता द्वारा कार्य–सम्पादन प्रतिभूति राशि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के अनुसार बोली स्वीकार किये जाने की तिथि से 1 दिवस के भीतर अनुसूचित **बैंक द्वारा जारी डी.डी./एफडीआर/बैंक गारण्टी (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम से देय हो)** से जमा करानी होगी। अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अनुबन्धकर्ता को लौटा दी जावेगी। इस पर कोई ब्याज देय नही होगा।

20. संविदा अवधि मे सफल बोलीदाता एवं आरपीए के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो निदेशक, आरपीए जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा।

21. सभी प्रकार के कानूनी वाद जयपुर स्थित न्यायालयों मे ही प्रस्तुत किये जा सकेगें।

22. अनुबन्ध अवधि के दौरान सामग्री की दरें स्थिर रहेगी। इनमे किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार्य नही होगी। दरों मे कमी के सम्बन्ध मे राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम–2013 का नियम 29 (2–ज) प्रभावी होगा।

23. दरें, अंको एवं शब्दों मे अंकित की जानी चाहिए। दरें प्रति इकाई रूपयें मे अंकित की जानी चाहिए। दरों में शब्दों एवं अंको के मध्य विसंगति होने की स्थिति में आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 64 (ग) के अनुसार निर्णय लिया जावेगा।

24. आदेशित माल/सेवा की आपूर्ति कार्यादेश अनुसार निर्धारित अवधि में नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधान के अनुसार परिनिर्धारित नुकसानी संवेदक से वसूलनीय होगी।

25. अनुबन्धकर्ता द्वारा यदि सामग्री/सेवा आपूर्ति नहीं की जाती है, कम मात्रा में आपूर्ति की जाती है अथवा घटिया गुणवत्ता की सामग्री/सेवा की आपूर्ति की जाती है तो संवेदक की रिस्क एवं कोस्ट पर खुले बाजार से क्रय/कार्य कर लिया जावेगा तथा अन्तर राशि (यदि कोई हो) की वसूली संवेदक को देय राशि अथवा संवेदक द्वारा जमा कराई गई कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि मे से कर ली जावेगी।

26. अपूर्ण/असंतोषजनक/घटिया गुणवत्ता की आपूर्ति करने अथवा आपूर्ति नहीं/विलम्ब से किए जाने पर अनुबन्ध को निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि जब्त कर संवेदक को अयोग्य घोषित/काली सूची में डाला जा सकता है एवं नियमानुसार वसूली की जायेगी।

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए 5%

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए 7.5%

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए 10%

27. अपूर्ण/असंतोषजनक/घटिया गुणवत्ता की आपूर्ति करने अथवा आपूर्ति नहीं/विलम्ब से किए जाने पर अनुबन्ध को निरस्त किया जाकर प्रतिभूति राशि जब्त कर संवेदक को अयोग्य घोषित/काली सूची में डाला जा सकता है।

28. बोली खुलने के पश्चात् यदि कोई बोलीदाता उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी दरों को वापस लेता है या अनुबन्ध पश्चात् कार्य प्रारम्भ नहीं करता है तो बोली प्रतिभूति/कार्य–सम्पादन प्रतिभूति राशि (जैसी भी स्थिति हो) को जब्त कर बोलीदाता/संवेदक के विरूद्व नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

29. अनुबन्धकर्ता द्वारा सप्लाई किये जाने वाले सामग्री को सही स्थिति मे अकादमी तक पहुँचाने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा। परिवहन मे हुये किसी प्रकार की क्षति की जिम्मेवारी अनुबन्धकर्ता की ही होगी।

30. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार बोलीदाताओं से बातचीत भी की जा सकती है।

31. न्यूनतम मात्रा के उपापन की कोई गारन्टी नही होंगी।

32. यह आवश्यक नहीं है कि एक ही बोलीदाता से अनुबन्ध किया जावें, अकादमी स्वविवेक से एक से अधिक बोलीदाताओं से समान दरों पर अनुबन्ध कर सकती है। समान सामग्री/कार्य के लिए एक से अधिक बोलीदाताओं से भी समान दरों पर अनुबन्ध किया जा सकता है।

33. अत्यन्त अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने की दशा मे यह आवश्यक नही है कि न्यूनतम दर वाले बोलीदाताओं की दरों को स्वीकार किया जावे। सक्षम समिति बोलीदाता द्वारा दरों की औचित्यता एवं सैम्पल के आधार पर न्यूनतम से अन्य बोलीदाता की दरें भी स्वीकार कर सकती है।

34. निदेशक, आरपीए द्वारा अनुबन्ध की अवधि के दौरान किसी भी कारण से अवगत कराते हुये या बिना कारण अवगत कराये 2 घण्टे का नोटिस देकर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में बोलीदाता को किसी प्रकार का हर्जा–खर्चा नहीं दिया जायेगा।

35. बोलीदाता द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा योग्यता नहीं रखने पर बोली निरस्त/अनुबन्ध समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

36. बोली पूर्व स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण अकादमी जयपुर (सामान्य शाखा) एवं बोली प्रपत्र मे किसी प्रकार का परिवर्तन Portal पर प्रदर्शित कर दिया जावेगा। (नियम 46 एवं 47 अनुसार)

37. बोलीदाताओं को राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवं नियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सत्यनिष्ठा संहिता की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।

38. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2013 की धारा-38 के तहत् कोई भी बोलीदाता अथवा भावी बोलीदाता जिसे यह प्रतीत होता है, कि इस बोली का कोई प्रावधान या कृत्य इस अधिनियम के प्रतिकूल है, तो वह प्रथम अपील अधिकारी **उप महानिरीक्षक पुलिस एवं अतिरिक्त निदेशक आरपीए, जयपुर** के समक्ष अपील कर सकता है। साथ ही समान उद्देश्य (अपील) के लिए प्रावधान अनुसार द्वितीय अपील अधिकारी निदेशक, आरपीए जयपुर के समक्ष अपील कर सकता है। (अनुलग्नक–'स')प्रथम एवं द्वितीय अपील अधिकारी के समक्ष अपील करने हेतु निर्धारित शुल्क क्रमशः राशि रूप्ये 2500/– एवं राशि रूपये 10000/– निर्धारित है, जो अपीलकर्त्ता को अपील के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में (जो निदेशक, आरपीए जयपुर के नाम देय हो) संलग्न करनी होगी। अपील के साथ जमा कराई जाने वाली फीस अप्रतिदाय होगी।

39. किसी भी बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम–2013 के नियम 81 (3) में वर्णित हित का विरोध की स्थिति में नहीं होना चाहिए।

40. राजस्थान उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवंनियम–2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में वर्णित प्रावधान एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी कियें जाने वाले दिशा–निर्देश/आदेश जो इस बोली हेतु प्रासंगिक हो अकादमी एवं सफल बोलीदाता द्वारा मान्य एवं बाध्यकारी होंगें।

41. उपापन समिति द्वारा सामग्री का सैम्पल मांगे जाने पर शीघ्र प्रस्तुत करना होगा।

सहायक निदेशक (प्रशासन),
राजस्थान पुलिस अकादमी,
जयपुर।

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit any fact that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict ofinterest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that partys performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :

a. Have controlling partners/ shareholders in common; or

b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or

d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Date :
Place :

Signature of bidder
Name :
Designation :
Address :

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to the Notice Inviting Bid No.............. Dated ....I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence as is required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is

____

The designation and address of the Second Appellate Authority is

____

(1)Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to the First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by aBidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2)The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3)If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4)Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a) Determination of need of procurement.

(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.

(c) The decision of whether or not to enter into negotiations.

(d) Cancellation of a procurement process.

(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(f)

(5)Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as the number of are respondents in the appeal.

(b)Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c)Every appeal may be presented to the First or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6)Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal it shall be rupees ten thousand, and this shall be non-refundable.

(b)The fee shall be paid in the form of bank demand draft or bankers cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of concerned Appellate Authority.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b)On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –

(i)hear all the parties to appeal present before him: and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c)After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of this order to the parties to appeal, free of cost.

(d)The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No.1

(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No..........of............

Before the ....(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellant :
   (ii)Official address, if any :
   (iii) Residential address :
2. Name and address of the respondent (s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose a copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which

the appellant is aggrieved :

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :
6. Grounds of appeal

    ....
    ....
    ....
    ....(Supported by an affidavit)
7. Prayer

    :..
    ....
    ....
    ....
    ....

Place ....

Date ....

Appellants Signature

Annexure D: additional conditions of contract

1. **Correction of arithmetical errors**

   Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial bids on the following basis:

   I. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price. In which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected:

   II. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected and

   III. If there is discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case he amount n figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

   If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be expected.

2. **Correction of arithmetical errors**

   (i) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or. Services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in ne Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of contract.

   (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

   (iii) in case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of the Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at time of award (In case of procurement of Goods)**

   As general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However When it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical aid vial nature. In such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the-second lower Bidder or even more Bidder, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने /हमने जिन मालों/सामानों /उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम/बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरण/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेण्ड हूँ/है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव वाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपह्मत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मुहर

परिशिष्ट–ए

क्र.सं.	सामग्री का नाम	तादाद् (व्यक्ति)	दर प्रति व्यक्ति/प्लेट	GST दर	समस्त कर सहित कुल योग
	हाई–टी निम्नानुसार मैन्यू शामिल है:–	500 व्यक्ति हेतु			
Beverages	**Tea and Coffee** (Served in rippled Cups) (Masala Tea, Green Tea, Black Tea, Black Coffee, Hot Coffee), **Aam Panna,** **Assorted Cookies (Jeera, Coconut, Ajwain, Khari, Mathri and Fen Biscuits)**				
Savories	**Veg Coleslaw Sandwich (Served with ketch up),** **Choley Bhature** (Served with Chopped Onion and Tamarind Chutney) **Mini Kathi Rolls** (Seved with Green Chilly, Green Chutney and Ketch up) **PP Samosa** (Served with Green Chutney and Ketch up)				
Dessert	**Gud-Pista Rasgulla Kherr** **Mini Marble Cake with Swiss Chocolate Ganache** **Scoop Ice Cream**				
Water:-	Water Bottle 200 ML				

वी.आई.पी. अधिकारियों के लिए

1. नोटः– उपरोक्त सामग्री शुद्ध देशी घी एवं रिफायण्ड तेल में ताजा तैयार की हुई सप्लाई करनी होगी।
2. जी.एस.टी. का पृथक से उल्लेख करे यदि लागू हो तो।
3. उपरोक्त दरें केटरिंग सहित मान्य होगी।